



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 अग्रहायण 1940 (श0)
(सं0 पटना 1059) पटना, मंगलवार, 11 दिसम्बर 2018

नगर विकास एवं आवास विभाग

नगर परिषद् **बीहट** प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि-2018
अधिसूचना
7 दिसम्बर 2018

सं0 न0वि0/03/SBM-01-46/2018-2911—पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम-6 (4) द्वारा उक्त नियमावली के प्रावधानों को समाहित करते हुए उपविधि बनाने हेतु स्थानीय निकाय को अधिदेशित किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-25/2018 दिनांक 15.10.2018 अधिसूचित है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना के क्रियान्वयन एवं मानकीकरण हेतु बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2018 का मॉडल अधिसूचना संख्या-2540, दिनांक 12.10.2018 द्वारा अधिसूचित है।

नगर परिषद् **बीहट** के सशक्त स्थाई समिति की बैठक की प्रस्ताव संख्या-अन्यान्य (1), दिनांक 05.11.2018 द्वारा उपविधि के उक्त मॉडल को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-422 की उपधारा (क), (ख) एवं (ग) के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए पारित की गयी है।

अतएव बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-423 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद् **बीहट** के प्रस्ताव संख्या-अन्यान्य (1), दिनांक 05.11.2018 द्वारा पारित उपविधि को एतद् द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

यह शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

अध्याय-I आरंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ-

- (i) यह उपविधि नगर परिषद् **बीहट** प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2018 कही जा सकेगी।
- (ii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग पर राजपत्र अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के बाद यह उपविधि लागू हो जाएगा।

2. लागू होना-

- (i) यह उपविधि नगर परिषद् **बीहट** की अधिकारिता के भीतर उपलब्ध प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक, विनिर्माता, उत्पादनकर्ता, आयातक ब्रांड के मालिक तथा उपयोगकर्ता पर लागू होगी।
- (ii) उपविधि निर्यात जनित इकाई अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन निर्यात के लिए आदेश के विरुद्ध उनके उत्पादों का विनिर्माण पर लागू नहीं होगी; परन्तु यह छूट गुटखा, तम्बाकु एवं पान मसाला के पैकेजिंग में लगी इकाईयों तथा किसी अधिशेष या अस्वीकृत, छोड़ दिए गए उत्पाद इत्यादि पर लागू नहीं होगी।

3. परिभाषाएँ-इस उपविधि में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29)
- (ख) "ब्रांड के मालिक" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति या कंपनी जो रजिस्ट्रीकृत ब्रांड लेबल के अधीन किसी वस्तु की बिक्री करती हो;
- (ग) "कैरी बैग" से अभिप्रेत है प्लास्टिक सामग्री अथवा कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक सामग्री से बना वस्तुओं को ले जाने या देने के प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाने वाला बैग, जिसकी स्ववाहक विशेषता हो किंतु इसमें वैसा बैग शामिल नहीं है जो पैकेजिंग का जिसमें माल को उपयोग किए जाने के पूर्व मुहरबंद किए जाते हैं, एक अभिन्न भाग गठित करता सृजित करता हो;
- (घ) "वस्तु" से अभिप्रेत है ठोस वस्तुएँ जो लाई या बेची सके और इसमें सभी बाजार के माल और समान शामिल हैं ;
- (ङ) "कंपोस्टेबल प्लास्टिक" से अभिप्रेत है प्लास्टिक जिसका बाईोलोजिकल प्रोसेस द्वारा CO₂, जल, अकार्बनिक मिश्रण तथा बायोमास उत्पन्न करने हेतु कंपोस्ट करने के दौरान अन्य कंपोस्ट करने योग्य सामग्रियों, परंपरागत पेट्रोबेस्ट प्लास्टिक को छोड़कर, के संगत दर पर क्षरण होता है और दृश्य; अलग करने योग्य अथवा जहरीला अवशेष न छोड़ता हो;
- (च) "खाद्य पदार्थ" से अभिप्रेत है भोज्य उत्पाद, फास्ट फुड, प्रोसेस्ड अथवा द्रव के रूप में पकाया हुआ भोज्य, पाउडर ठोस या अर्धठोस रूप में खाने के लिए तैयार हो;
- (छ) "सुविधा" से अभिप्रेत है प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, भंडार रिसाईकिलिंग, प्रोसेसिंग और प्रेषण के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर;
- (ज) "आयातक" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो आयात करता या आयात करने का आशय रखता हो तथा एक आयातक- निर्यातक कोड संख्या धारिता हो जब तक कि उसे विशेष रूप से छूट प्राप्त न हो;
- (झ) "संस्थागत अपशिष्ट उत्पादक" से अभिप्रेत है और उसमें शामिल हैं संस्थागत भवनों जैसे केन्द्रीय सरकार के विभागों राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक या नीजी सेक्टर की कंपनियाँ, अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों द्वारा अधिभोग के लिए गए भवनों अथवा शिक्षा, संगठनों, एकादमी, होटल, रेस्तरां मॉल और शॉपिंग कम्प्लेक्स के अन्य स्थानों के अधिभोगी;
- (ञ) "विनिर्माता" से अभिप्रेत है और इसमें शामिल हैं उत्पाद द्वारा कच्चे माल के रूप उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक कच्चा माल के उत्पादन में लगा कोई व्यक्ति या इकाई या एजेंसी;
- (ट) "मल्टीलेयर पैकेजिंग" से अभिप्रेत पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त या उपयोग किया जाने वाला और संयोजन में मुख्य तत्व के रूप में कम से कम प्लास्टिक का एक परत वाला अथवा कागज, पेपर बोर्ड, पॉलिमैरिक मैटेरियल, मेटालाईज्ड परत या अल्यूमिनियम फोयाल, लेमिनेट के रूप या सह-निष्कासित संरचना जैसे एक या अधिक परत वाला मैटेरियल;
- (ठ) "प्लास्टिक" से अभिप्रेत है वह सामग्री जिसमें एक उच्च पॉलिमर जैसे-पॉलिथीन, टेरेथालेट, उच्च घनत्व वाला पॉलिथीन, विनाइल, निम्न घनत्व वाला पॉलिथीन, पॉलिप्रोपाइलीन पॉलिस्टाइरीन रेसीन, मल्टीमैटेरियल जैसे एकीलो नाइट्राइल बुटाडाइन, स्टाइरीन, पॉलिफेनाइलीन आक्साइड, पॉलिकार्बोनेट, पॉलिबुटीलाइन टेरेथालेट एक आवश्यक अंश के रूप में अंतर्विष्ट हो;
- (ड) "प्लास्टिक शीट" से अभिप्रेत है प्लास्टिक से बना शीट ;
- (ढ) "प्लास्टिक अपशिष्ट" से अभिप्रेत है आशयित उपयोग खत्म हो जाने बाद कूड़े में फेंका गया कोई प्लास्टिक ;
- (ण) "उत्पादक" से अभिप्रेत है कैरी बैग अथवा मल्टीलेयर किया गया पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या अन्य ऐसे वस्तुओं के विनिर्माण या आयात में लगा हुआ कोई व्यक्ति और इसमें प्लास्टिक शीट या

- ऐसी ही वस्तुओं अथवा प्लास्टिक शीट का बना कमार या वस्तुओं के रैपिंग या पैकेजिंग के लिए मल्टीलेयर पैकेजिंग का उपयोग करने वाले उद्योग या व्यक्ति शामिल है।
- (त) "रिसाईकिलिंग" से अभिप्रेत है नए उत्पादों के उत्पादन के लिए नए उत्पाद या कच्चा माल के रूप में अलग किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट को बदलने की प्रक्रिया;
- (थ) "निबंधन" से अभिप्रेत है यथास्थिति बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा शहरी स्थायी निकाय से निबंधन;
- (द) "स्ट्रीट भंडार" से अभिप्रेत है प्रत्येक दिन उपयोग की वाणिज्य वस्तुएं, सामान, माल, बिक्री के लिए माल, भोज्य सामग्रीयों भेड़ों में अथवा स्ट्रीट, गली, साइड बाक, फूटपाथ पेभमेंट, सार्वजनिक पार्क, या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान या पार्किंग क्षेत्र में बने अस्थायी संरचना या जगह-जगह धूमकर आम लोगों को सेवा देने में लगा हुआ कोई व्यक्ति और इसमें कोई हॉकर, पेडलर, स्कवाटर, तथा सभी अन्य पर्यायवाची शब्द जो स्थानीय या क्षेत्रीय रूप में विनिर्दिष्ट हो शामिल है तथा अपने व्यकरणीय विभिन्नता तथा सजातीय अभिव्यक्तियों के साथ भाब्द "स्ट्रीट भंडार" तदनुसार समझे जाएंगे।
- (घ) "थर्मोसेट प्लास्टिक" जब ताप या अन्य साधन से उपचारित तात्विक रूप से अगलनीय या अधुलनीय उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। थर्मोसेट पॉलिमर एक प्रकार का प्लास्टिक है जो अपने संगठित रसायनिक संरचना के कारण रिमोल्ड या रिसाईकिल नहीं किया जा सकता;
- (न) "शहरी स्थानीय निकाय" से अभिप्रेत है बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 2 (66) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट नगरपालिका जब कभी इसका प्रयोग किया गया हो नगरपालिका निर्देशित करता है।
- (प) "वर्जित प्लास्टिक" से अभिप्रेत है प्लास्टिक सामग्री जिसका उपयोग पहले नहीं किया गया हो और जो स्कैप या अपशिष्ट के साथ मिलाया भी न गया हो ;
- (फ) "अपशिष्ट उत्पादक" से अभिप्रेत है और इसमें शामिल है ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्ति-समूह या संस्था, आवासीय तथा वाणिज्यिक स्थापना जिसमें भारतीय रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह तथा हार्बर शामिल है जो प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन करते हैं ;
- (ब) "अपशिष्ट प्रबंधन" से अभिप्रेत है किसी पर्यावरणीय सुरक्षा रीति से प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण, भंडारण, परिवहन में, कभी, पुनः उपयोग, रिकवरी, रिसाईकिलिंग, संयोजन या निपटारा;
- (म) "अपशिष्ट पिकर्स" से अभिप्रेत है रिसाईकिल करने योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट के पैकिंग के लिए लगे हुए प्राधिकृत व्यक्ति, स्वयंसेवी व्यक्तियों का समूह ऐजेंसी।

अध्याय-II

प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन

4. **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन**—नगर परिषद् **बीहट** अपनी अधिकारिता के भीतर प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नवत् करेगी :-

- (क) प्लास्टिक कैरी बैग से अन्यथा प्लास्टिक-अपशिष्ट जिसका रिसाईकिल किया जा सकता हो, निबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट रिसाईकिल से के साथ चैनलाईज करेगी और भारतीय मानक आईएसओ 14534 :1998 प्लास्टिक रिसाईकिलिंग के लिए मार्गदर्शन, समय-समय पर यथा संशोधित के अनुरूप संपुष्ट करेगी;
- (ख) शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट (प्राथमिकरूप से प्लास्टिक अपशिष्ट जिसका आगे रिसाईकिल नहीं किया जा सकता) भारतीय सड़क कांग्रेस मार्गदर्शक के अनुसार सड़क निर्माण या ऊर्जा प्राप्ति अथवा अपशिष्ट से तेल इत्यादि के लिए उपयोग हेतु प्रोत्साहित करेगी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और या बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रदूषण नियंत्रण मानकों इन तकनीकियों का पालन किया जाएगा;
- (ग) थर्मोसेट प्लास्टिक-अपशिष्ट का प्रसंस्करण एवं निपटारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शन के अनुसार किया जाएगा।
- (घ) प्लास्टिक का इनर्ट फार्म रिसाईकिलिंग या प्रोसेसिंग सुविधाएँ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुपालन में निपटायी जाएंगी।

5. **शर्तों का पूरा किया जाना**—बिहार सरकार का विचारित विचार है कि प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग गंभीर ज्ञाति और असुधार्य नुकसान गटर, सिवरेज और नालों को जाम करके भूगर्भ जल रिचार्ज को प्रभावित करने कर रहा है और जाने एवं अनजाने में आग में उसे जलाकर उत्सर्जन करने के परिणामस्वरूप गंभीर पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न की जा रही है जिसके मानव स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है तथा गोजातीय द्वारा घास चरते समय खाने से मवेशियों की स्वास्थ्य तथा दीर्घजीवन को गंभीर नुकसान कर रहा है। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि शहरी स्थानीय निकाय की संपूर्ण अधिकारिता में प्लास्टिक कैरी बैग विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, बिक्रय और उपयोग पर रोक लगाया जाय।

- (i) कोई भी व्यक्ति नगर परिषद् **बीहट** की अधिकारिता में किसी प्रकार के कैरी बैग (साईज और मोटाई का विचार किए बिना) विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्रय, परिवहन या उपयोग नहीं करेगा।
- (ii) दुकानदार, भेंडर, थोक बिक्रेता, खुदरा बिक्रेता व्यवसायी, हॉकर, फेरीवाला सहित कोई भी व्यक्ति किसी भी खाने या न खाने योग्य माल या सामाग्रीयों के या वितरण के लिए किसी प्रकार के कैरी बैग का बिक्रय, या भंडारण या वितरण या उपयोग नहीं करेगा।
- (iii) बायोमेडिकल अपशिष्ट भंडारण के लिए प्लास्टिक कैरीबैग, बीजांकुर के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलिबैग, प्लास्टिक शीट से बना प्लास्टिक शीट या ऐसी ही वस्तु या कमर का विनिर्माण, आयात, भंडारण विवरण, विक्रय और उपयोग तथा मल्टीलेयर पैकेजिंग निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी यथा :-
- (क) बायो मेडिकल अपशिष्ट के भंडारण के उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक कैरी बैग को उस उपविधि के प्रावधानों से छूटप्राप्त होगा। तथापि प्लास्टिक कैरी बैग मोटाई में पचास माइक्रोन से कम नहीं होंगे और बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली की अनुसूची iv और नियम 4 (खंड (घ) और (झ) में किए गए प्रावधानों को भी पूरा पालन किया जाना चाहिए। बायोमेडिकल अपशिष्ट वाला प्लास्टिक कैरी बैगों का निपटारा बायो-मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में किए गए प्रावधानों के अनुपालन में किया जाना चाहिए।
- (ख) रिसाईकिल किए गए प्लास्टिक के बने उत्पादों का उपयोग खाने-पीने के लिए तैयार भोज्य पदार्थों के भंडारण, ले जाने, वितरण या पैकेजिंग के लिए नहीं किया जाएगा।
- (ग) वर्जिन या रिसाईकिल किए गए प्लास्टिक से बने कैरी बैग को उसकी मोटाई पर विचार किए बिना नगर परिषद् **बीहट** का अधिकारिता में रोक लगेगा।
- (घ) राज्य पर्यावरण एवं वन विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीजांकुरों की वृद्धि करने के लिए उपयोग किए गए पॉलिबैग मोटाई में पचास माइक्रोन से कम न हों और सभी उपयोग किए गए पॉलिबैगों का पुनः संग्रहण एवं उनके सुरक्षित निपटारे को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- (ङ) प्राइवेट नर्सरियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीजांकुर की वृद्धि के लिए उपयोग किए जाने वाले पॉलिबैग मोटाई में पचास माइक्रोन से कम न हों। प्राइवेट नर्सरियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सर्वाधिक समय अवधि तक इन पॉलिबैगों दुबारा उपयोग हों।
- (च) प्राइवेट तथा सरकारी नर्सरी यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी उपयोग किए गए पॉलिबैगों को एक स्थान संग्रह किया जाय तथा उसे मॉडल बिहार नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2018 में यथा विहित फीस का भुगतान कर शहरी स्थानीय निकाय को हस्तगत कर सकें।
- (छ) प्लास्टिक शीट या ऐसी ही वस्तुएँ जो मल्टीलेयर किए गए पैकेजिंग तथा वस्तुओं की पैकेजिंग चारैपिंग के लिए उपयोग किए गए प्लास्टिक के बने कमर के अभिन्न भाग न हों; उनको छोड़कर जहाँ ऐसे प्लास्टिक शीट की मोटाई उत्पादों की क्रियाशीलता को कम करते हो, की मोटाई पचास माइक्रोन से कम नहीं होगी।
- (ज) विनिर्माता बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विधि मान्य रजिस्ट्रेशन प्राप्त किए बिना उत्पादक को कच्चे माल के रूप में प्लास्टिक का उपयोग किए जाने हेतु बिक्रय, या उपलब्ध या व्यवस्था नहीं करेंगे।
- (झ) पाउच (Sachets) के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक-मैटेरियल का उपयोग गुटखा, तम्बाकू तथा पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या विक्रय के लिए नहीं किया जाएगा।
- (ञ) प्लास्टिक मैटरिल का उपयोग बिनाईल ऐसेटेट-मालैक एसिड, बिनाईल क्लोराइड कोपालिमर सहित किसी भी रूप में नहीं किया जाएगा।

अध्याय-III

प्लास्टिक शीट/मल्टीलेयर पैकेजिंग का मार्किंग या लेबलिंग।

6. (i) खुदरा बिक्रेता या स्ट्रीट भेंडर प्लास्टिक का शीट या मल्टीलेयर पैकेजिंग में वस्तुओं को ग्राहक को नहीं बेचेगे या उपलब्ध करेंगे जो इस उपविधि के अधीन यथाविहित रूप विनिर्मित और लेबल या मार्क न किया गया हो।
- (ii) वस्तुओं को मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट प्लास्टिक शीट से बने कमरों में जो इस उपविधि के अनुसार निविर्मित या लेबल या मार्क न किए गए हो; बिक्रय या उपलब्ध करने वाले प्रत्येक खुदरा बिक्रेता या स्ट्रीट भेंडर ऐसी फीस भुगतान करने का दायी होगा जो स्थानीय निकाय की उपविधि के अधीन अनुसूची ८ में विनिर्दिष्ट किए गए हों।
- (iii) मल्टीलेयर पैकेजिंग पर विनिर्माता का नाम निबंधन संख्या मल्टीलेयर पैकेजिंग की दशा में अंग्रेजी में मुद्रित होगा।

अध्याय-IV

उत्पादक, रिसाईकलर और विनिर्माता का निबंधन।

7. (i) नियम 5 (i) में किए गए प्रावधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक कैरी बैग या रिसाईकिल प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण नहीं करेगा। तथापि मल्टीलेयर पैकेजिंग मैटेरियल का विनिर्माण केवल बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उत्पादन आरंभ करने के पूर्व एक विधिमान्य रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के बाद किया जा सकता है।
- (ii) प्लास्टिक मैटेरियल; मल्टीलेयर पैकेजिंग के सभी उत्पादक, रिसाईकलर एवं विनिर्माता प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में किए गए प्रावधानों के अनुसार बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रजिस्ट्रेशन और नवीकरण प्राप्त करेंगे।

अध्याय-V

प्लास्टिक अपशिष्टका संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण।

8. प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण एवं प्रसंस्करण निम्नवत् किया जाएगा—
 - (क) शहरी स्थानीय निकाय अपने संसाधनों से प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्पादन और प्लास्टिक अपशिष्ट पृथक्करण को कम करने हेतु कदम उठाएगी।
 - (ख) शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट के छितराव को कम करने तथा सेकेन्डरी स्टोरेज डिपो/सामुदायिक डस्टबीन पर अपशिष्ट के पृथक् किए गए भंडारण के लिए कदम उठाएगी। प्लास्टिक अपशिष्ट केवल नन-बायो डिग्रेडेबुल या ड्राई वेस्ट बीन में ही इकट्ठित किया जाएगा।
 - (ग) सेकेन्डरी स्टोरेज पॉइन्ट/डिपो/ट्रांसफर स्टेशनों पर शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट उठाने वालों तथा अन्य सामाजिक आयोजनकर्ताओं को प्लास्टिक गिलास तथा तथा कागजों को रिसाईकिल एवं पुनः उपयोग के लिए प्रोत्साहित करेगी। अनौपचारिक अपशिष्ट उठाने वालों को ड्राई रिसाईक्लेबल अपशिष्ट को संग्रह करने तथा प्राधिकृत रिसाईक्लर्स को उसे बेचने की स्वीकृति भी उन की जीविका को उपार्जन के लिए सीधे दी जाएगी।
 - (घ) शहरी स्थानीय निकाय गीला एवं सूखा वेस्ट के पृथक्करण के इनसे मैटेरियल के साधन मैटेरियल रिकवरी सुविधा की स्थापना के माध्यम से, पेपर, लोहा, शीशा, ई-वेस्ट, पॉलिथीन, चमड़े, जूते, पेट बोटल (PET Bottle), रबर इत्यादि जैसे ड्राईवेस्ट के भंडारण एवं छटाई के लिए अगल बीन या भंडार की व्यवस्था के साथ, सुनिश्चित करेगी।
 - (ङ) शहरी स्थानीय निकाय आवश्यकताएँ स्थानीय हालत के अनुसार अन्य प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकी जैसे—प्लाज्मा पाइरोलाइसिस तकनीकी,बेलिंग प्रेस और रिफ्युज डेराम्ड फ्यूल (आर.डी.एफ.) निर्माण, सिमेंट किल्न तथा प्लास्टिक स्प्रेडिंग को प्रोसेसिंग की स्थापना की भी जाँच-पड़ताल करेंगी।
 - (च) शहरी स्थानीय निकाय कचरे चुनने वालों की उनका उपयोग एम.आर.एफ. और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा में करके कायापलट की सक्रीय रूप से कार्य करेगी।
 - (छ) शहरी स्थानीय निकाय अनौपचारिक वेस्ट पिकर्स/कबाड़ी वाले एवं एस.एच.जी.के लिए स्वास्थ्य के मुद्दों, जीविका तथा आय उत्पादक क्रियाकलापों पर लगातार संवेदनाग्रह, सेशन प्रोग्राम आयोजित करेंगी।
 - (ज) वोकेशनल प्रशिक्षण, जैसे—पेपर बैग बनाना, कार्टून बैग, सिलाई, कूशन मेकिंग इत्यादि का प्रशिक्षण देने का कार्य भी करेगी।

अध्याय-VI

मॉनिटरिंग क्रियाविधि।

9. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का मॉनिटरिंग—
 - (क) जिला स्तरीय समीक्षा एवं मॉनिटरिंग समिति—बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2018 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित एक समिति इस उपविधि के प्रावधानों के सफल क्रियान्वयन पर स्थानीय निकाय का पुनर्विलोकन करेगी और सलाह देगी।
 - (ख) सिटी स्क्वाड/टास्कफोर्स का गठन—जिला प्रशासन शहरी स्थानीय निकाय के पदाधारियों तथा स्थानीय निकाय की अधिकारिता के भीतर उपविधि के क्रियान्वयन लागू करने हेतु समुदाय से सदस्यों के साथ-साथ प्रशासनिक कमियों को भामिल करते हुए सिटी स्क्वाड/टास्कफोर्स का गठन सुनिश्चित करेगा सिटी स्क्वाड में निम्नलिखित सदस्य होंगे—
 - (i) जिला प्रशासन के पदाधिकारी,
 - (ii) शहरी स्थानीय निकाय के पदधारी (नगर आयुक्त, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर प्रबंधक/सहायक अभियंता)
 - (iii) पुलिस विभाग के पदधारी (निरीक्षक/अवर निरीक्षक)
 - (iv) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पदधारी (क्षेत्रीय अधिकारी/ए.ई.ई./वैज्ञानिक)
 - (v) स्थानीय एन.जी.ओ. से सदस्य

(vi) एस.एच.जी. के सदस्य।

सिटी स्क्वाड/टास्क्फोर्स का कार्य पॉलिथीन बैगों का उसकी मोटाई का विचार किए बिना जब्त करना तथा अनुसूची I के अनुसार इस उपविधि के उल्लंघन के लिए जुर्माना अधिरोपित करना है। अनधिकृत इकाई को बंद करने के लिए कहा जाएगा।

अध्याय-VII

उपयोग कर्ता फीस तथा जुर्माना।

10. **प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह, प्रवर्तन और प्रबंधन के लिए उपयोग कर्ता फीस का लागू होना**—शहरी स्थानीय निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि के अनुसार संग्रहित उपयोग कर्ता फीस का 15 (पंद्रह) प्रतिशत प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के प्रयोजनार्थ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन खाते में अंतरित कर दी जाएगी।

11. उल्लंघन पर जुर्माना—

- (क) इस उपविधि के आरंभ की तिथि को और उसके बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रकाशन अधिसूचना के अनुसार दिनांक 13.12.2018 तक जन-साधारण को जानकारी/चेतावनी दी जा सकेगी। जिसके बाद इस उपविधि का कोई उल्लंघन अनुसूची-I में यथाविहित जुर्माने से इस उपविधि के भंग के प्रत्येक अवसर पर दंडनीय होगा।
- (ख) यदि कोई दुकानदार या स्ट्रीट भेंडर शहरी स्थानीय निकाय की अधिकारिता में किसी वस्तु को देने के लिए प्लास्टिक कैरी बैग उपलब्ध करते हुए पाया जाता है तो शहरी स्थानीय निकाय प्रत्येक ऐसे अवसर पर अनुसूची-I में यथा विनिर्दिष्ट जुर्माना अधिरोपित करेगी।
- (ग) यदि कोई दुकानदार या स्ट्रीट भेंडर वस्तुओं को प्लास्टिक कैरी बैग या प्लास्टिक के बने मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या कभर में जिसका विनिर्माण, लेबल या मार्क उपविधि के अनुसार नहीं किया गया हो, बिक्रय या उपलब्ध करता है तो प्रत्येक ऐसे अवसर पर अनुसूची-I में यथा विनिर्दिष्ट जुर्माना भुगतान करने का दायी होगा।
- (घ) नगर परिषद् **बीहट** नियम 9 (ख) के अधीन गठित अधिकृत पदधारी सिटी स्क्वाड के माध्यम स्पोर्ट पर जुर्माना वसूल करेगा।

12. **व्यतिक्रम की दशा में कार्रवाई**—कोई विनिर्माता, उत्पादक, आयातक, स्टाकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, दुकानदार, स्ट्रीट भेंडर जो जुर्माना नहीं देता है वह संपत्ति कर के बकाए के रूप में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वसूली के लिए दायी होगा। बार-बार अपराध करनेवालों के विरुद्ध बिहार नगरपालिका की धारा 426 के प्रावधानों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

अध्याय-VIII

आवेदन तथा वार्षिक रिटर्न।

13. आवेदन तथा वार्षिक रिटर्न (पी.डब्ल्यू.एम. नियमावली, 2016)

- (क) प्रत्येक उत्पादक रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन के नवीकरण के प्रयोजनार्थ, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुसार फार्म -I में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष एक आवेदन देगा।
- (ख) अपशिष्ट (वेस्ट) रिसाईकिलिंग या प्रोसेसिंग करने वाला अथवा प्लास्टिक अपशिष्ट का रिसाईकिल या प्रोसेस का प्रस्ताव देने वाला प्रत्येक व्यक्ति रिसाईकिलिंग यूनिट के रजिस्ट्रेशन अथवा रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुसार फार्म-II में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष एक आवेदन देगा।
- (ग) उत्पादक द्वारा कच्चा माल के रूप में उपयोग किए जाने हेतु शहरी स्थानीय निकाय की अधिकारिता में प्लास्टिक के विनिर्माण में लगा प्रत्येक विनिर्माता रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन की नवीकरण के लिए फार्म-III में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष एक आवेदन देगा।
- (घ) प्लास्टिक अपशिष्ट के रिसाईकिलिंग या प्रोसेसिंग में लगा प्रत्येक व्यक्ति फार्म-IV में एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जानकारी में शहरी स्थानीय निकाय को समर्पित करेगा।
- (ङ) नगर परिषद् **बीहट** फार्म-V में एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगी और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जानकारी में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी सचिव को समर्पित करेगी।

अध्याय-IX

स्टेक होल्डर का उत्तरदायित्व।

14. स्टेक होल्डर का उत्तरदायित्व—

14.1. नगर परिषद् बीहट का उत्तरदायित्व।

- (क) शहरी स्थानीय निकाय स्वयं के खर्च पर अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी के माध्यम से एजेंसियों या उत्पादकों को लगाकर प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा निपटारे के लिए आधारभूत संरचना विकसित करेगी।
- (ख) शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के समन्वय तथा सहयोजित कृत्यों के पालन के लिए जिम्मेवारी होगी, यथा—
 - i. प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा निपटारे को सुनिश्चित करना;
 - ii. इस प्रोसेसिंग के दौरान यह सुनिश्चित करना कि पर्यावरण को कोई नुकसानी न हो;
 - iii. रिसाइकिलर्स को रिसाई किलेबुल प्लास्टिक अपशिष्ट खण्ड का चानलाइजेशन सुनिश्चित करना;
 - iv. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत मार्गदर्शन के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट के गैर-रिसाइकिलेबुल खण्ड के प्रोसेसिंग तथा निपटार को सुनिश्चित करना;
 - v. सभी स्टेकहोल्डरों के बीच उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करना;
 - vi. वेस्ट पिकर्स के साथ सिविल सोसाईटी या समूह को शामिल करना;
 - vii. यह सुनिश्चित करना प्लास्टिक को खुले में न जलाया जाय;
- (ग) शहरी स्थानीय निकाय स्वयं या किसी एजेंसी को लगाकर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र की स्थापना करेगी, जहाँ कोई अपशिष्ट उत्पादक संग्रहण केन्द्र की स्थापना करेगी जहाँ कोई अपशिष्ट उत्पादक या वेस्ट पिकर्स सीधे प्लास्टिक अपशिष्टों को जमा कर सके। यह प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी, अपशिष्ट के पृथक्करण के स्रोत, खुले में जलाने पर रोक इत्यादि की जानकारी फैलाने तथा संवेदन ग्रहण के लिए भी एक स्थान होगा।
- (घ) शहरी स्थानीय निकाय अपनी अधिकार क्षेत्र में प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग करके समस्या उत्पन्न करने, पर्यावरण पर प्लास्टिक के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रभाव, प्लास्टिक के बदले गैर प्लास्टिक इत्यादि पर लगातार जागरूकता पैदा कर प्लास्टिक उपयोग को कम करने प्रोत्साहित करेगी और उसके लिए बजट का प्रावधान करेगी।
- (ङ) जुर्माने के रूप में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा संग्रह की गई निधि पृथक खाते में रखी जाएगी और अपनी अधिकारिता के भीतर तर्कसंबंधी आधारभूत संरचना तथा सब तरह से अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के घोषणा के लिए उपयोग की जाएगी।
- (च) शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रणाली स्थापित करने के लिए विनियमों के उत्पाद को तथा ब्रांड स्वामियों की सहायता लेगी।

14.2 अपशिष्ट उत्पादक की जिम्मेवारी।

- (क) अपशिष्ट उत्पादक निम्नलिखित कार्य करेंगे—
 - i. प्लास्टिक अपशिष्ट कम करना तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 (समय-समय यथा संशोधित) के अनुसार स्रोत पर ही प्लास्टिक अपशिष्ट को पृथक् करना तथा इसे गैर-बायो ग्रेडेबुल अपशिष्ट के लिए बने बिन में संग्रह करना;
 - ii. प्लास्टिक कूड़ा-कचरा न फैलाना तथा स्रोत पर ही अपशिष्ट पृथक्कृत भंडारण सुनिश्चित करना एवं रजिस्टर्ड वेस्ट पिकर्स, रजिस्टर्ड रिसाइक्लर्स या वेस्ट संग्रहण के लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा बेस्ट संग्रहकर्ता या प्राधिकृत एजेंसी को हस्तगत कर देना।
- (ख) प्लास्टिक अपशिष्ट के सभी संस्थागत उत्पादक ठोस अपशिष्ट नियमावली, 2016 (समय-समय यथा संशोधित) के अनुसार अपने द्वारा उत्पादित अपशिष्ट को पृथक् करेंगे तथा जमा करेंगे।
- (ग) सभी अपशिष्ट उत्पादक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन जैसे अपशिष्ट संग्रहण या प्रवर्तन या उसकी सुविधा इत्यादि के लिए यूजर फीस या शुल्क का भुगतान करेंगे जो बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2018 में विनिर्दिष्ट की जाय।

- (घ) खुली जगह कोई समारोह आयोजित करने या एक सौ से अधिक व्यक्तियों को एक जगह जमा करने, जिसमें प्लास्टिक या मल्टीलेयर पैकेजिंग में योजना सामग्री देना अंतर्गस्त हो, के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति ऐसे समारोहों के दौरान उत्पादित अपशिष्ट को पृथक करेगा और प्रबंधित करेगा। ऐसा समारोह कार्य की तिथि से कम से कम तीन कार्य दिन पूर्व शहरी स्थानीय निकाय को सूचित करना चाहिए तथा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा यथा नियत दैनिक रेंटल चार्ज का भुगतान कर वैसे पृथक्कृत अपशिष्ट के भंडारण के लिए 1.1 वर्गमीटर का दो की संख्या कन्टेनर रखने हेतु नगर परिषद् **बीहट** से अनुरोध किया जाना चाहिए।

14.3. उत्पादक, आयातक तथा ब्रांड मालिक का उत्तरदायित्व।

- (क) उत्पादक, उपविधि के प्रकाशन की तिथि से छह माह की समयसीमा के भीतर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व आधारित अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली के लिए मॉडलिटी तैयार करना तथा राज्य नगर विकास विभाग को व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप से अपने वितरण चैनल या संबंधित स्थानीय निकाय के माध्यम से उसे अंतर्गत करेंगे।
- (ख) उत्पादक बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत होंगे।
- (ग) सभी उत्पादक, ब्रांड मालिक या आयातक जो मल्टीलेयर प्लास्टिक शीट या पाउच या पैकेजिंग इत्यादि का उपयोग करते हुए अपने उत्पादों का विक्रय विपणन करते हुए अपने उत्पादों के चलते उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट को वापस संग्रह करने की प्रणाली स्थापित करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होंगे।
- (घ) उपयोग किए गए मल्टीलेयर प्लास्टिक सचेत या पाउच या पैकेजिंग के संग्रहण की प्राथमिक जिम्मेदारी उत्पादकों, आयात को और ब्रांड स्वामियों की है जो बाजार में उत्पादों को उपस्थापित करते हैं। उनके उत्पादों के चलते उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट वापस संग्रह करने हेतु कोई प्रणाली स्थापित करना उनकी आवश्यकता है। यह संग्रहण योजना स्थापना या प्रवर्तन या नवीकरण हेतु सहमति के लिए आवेदन करते समय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समर्पित करनी है।
- (ङ) प्रत्येक उत्पादक कच्चे माल के रूप में प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार वस्तु या प्लास्टिक शीट या मल्टीलेयर पैकेजिंग के बने कभर के निर्माण हेतु प्लास्टिक की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों के ब्योरे का एक अभिलेख संधारित करेगा।
- (च) प्लास्टिक का उपयोग करते हुए रिसाईक्लेबल मल्टीलेयर तथा पेपर आधारित कार्टून पैकेजिंग सामग्री के विनिकर्त्ता/ब्रांड मालिक, उत्पादक अपनी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ई.पी.आर.) योजना जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण के लिए विद्यमान बेस्ट वर्कर्स/स्क्रेप ट्रेडर्स, रिटेलर्स के साथ समन्वय/सहयोग और उनके स्वयं स्थापित रिसाईक्लिंग प्लांट या उत्पादक उत्तरदायी संगठन (पी.आर.ओ.) स्थापित करके रजिस्टर्ड रिसाईकिलर्स जो अभिन्न प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संग्रहण से अंतिम निपटारे तक 100 प्रतिशत जिम्मेदार होंगे, कर्मठता क्रियान्वित करेंगे।
- (छ) पी.ई.टी. बोतल (PET Bottle) उत्पादकों/उद्योगों को यह सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेवारी होगी कि उत्पादकों द्वारा यथा विनिश्चित वापसी दर या खरीद बैंक दर पर रिटेलर्स से इन बोतलों का संग्रहण किया जाय और यह सुनिश्चित करेंगे कि इनका रिसाईकिल किया जाय। पी. ई.टी. बोतलों पर वापसी/खरीद बैंक की कीमत स्पष्ट रूप से मुद्रित करने की जिम्मेवारी उत्पादकों की है।
- (ज) बहुसंख्या में पी.ई.टी. बोतल, उपभोक्ताओं जैसे होटल, मैरेज हॉल/पार्टी हॉल, बाह्य खेल स्थानों कार्यालयों/संस्थाओं की प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण के लिए उपलब्ध करना उनके लिए आज्ञापक होगा।
- (झ) रिटेल पैकेजिंग मैटेरिल के लिए विनिर्माता संघ तथा रेटेलर के खरीद बैंक क्रिया विधि के माध्यम से ग्रासरिज एवं अनाज के पैकेजिंग के लिए उपयोग किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए उपयोग किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्रियों के संग्रहण एक क्रिया विधि सृजित करके सामूहिक रूप से कार्य करेंगे तथा संग्रह की गई प्लास्टिक सामग्रियों का रिसाईकिल करना तथा निपटारा करना सुनिश्चित करेंगे।

14.4 रिटेलर्स, स्ट्रीट भंडर, खाने वालों/सब्जी वाला इत्यादि की जिम्मेवारी।

- (क) दुकानदार, भंडर, थोक बिक्रेता रेटेलर, ट्रेडर खानेवाले हॉकर, फेरीवाला या सब्जीवाला सहित कोई भी व्यक्ति खाने योग्य या न खाने योग्य माल या सामग्रियों के भंडारण वितरण के लिए किसी भी प्रकार के कैंरी बैगों का विक्रय, भंडारण या वितरण या उपयोग नहीं करेगा।
- (ख) प्लास्टिक कैंरी बैग का दुकानदार, भंडर, थोक बिक्रेता, रिटेलर या ट्रेडर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार दिनांक 13.12.2018 के समय सीमा के भीतर में उपयोग, विक्रय स्टॉक समाप्त कर देंगे उस कालावधि

के बाद किसी ऐसे प्लास्टिक कैंरी बैगों विक्रय, भंडारण या उपयोग इस उपविधि की अनुसूची-1 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट जुर्माने के अधीन होगा।

- (ग) मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या इस प्रकार वस्तु या प्लास्टिक शीट के बने कमरों, जो इस नियमावली के अनुसार विनिर्मित या लेबल न किया गया हो, वस्तुओं को बेचने वाला या उपलब्ध करने वाला प्रत्येक रिटेलर या स्ट्रीट भेंडर इस उपविधि की अनुसूची-1 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट जुर्माने के भुगतान का दायी होगा।

14.5 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस.पी.सी.बी.) बिहार की जिम्मेवारी।

- (क) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रजिस्ट्रेशन, प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण तथा मल्टीलेयर पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटारे से संबंधित इस नियमावली के प्रावधानों लागू करने हेतु प्राधिकार होगा।
- (ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिहार, प्लास्टिक अपशिष्ट नियमावली, 2016 के क्रियान्वयन पर एक-वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समर्पित करेगा।

14.6 जिलास्तरीय समीक्षा एवं मॉनिटरिंग समिति।

- (क) ठोस एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन क्रियाकलापों से संबंधित कार्यों की समीक्षा एवं मॉनिटरिंग करना।
- (ख) ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर जिला के शहरी स्थानीय निकाय की कार्य योजना का पुनर्विलोकन करना, तथा प्लास्टिक एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के सभी प्रावधानों को क्रियान्वयन करना।
- (ग) ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट का बेसलाइन डाटाबेस तैयार करने तथा स्थिति विश्लेषण करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों को निदेश देना।
- (घ) ठोस अपशिष्ट/प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अभियान की प्रगति का मॉनिटरिंग करना और यथावश्यक सामयिक सुधार करना तथा नियमित समीक्षा करना एवं नगर विकास एवं आवास विभाग तथा अन्य राज्य समन्वय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना;
- (ङ) शहरी स्थानीय निकाय के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं ठोस अपशिष्ट प्रोसेसिंग डिस्पोजल सुविधा स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और स्थान निर्धारण पर, तीन माह पर कम से कम एक बार शहरी, स्थानीय निकाय के कार्यपालन की समीक्षा, सभी समिति करेगी;
- (च) वार्ड स्वच्छता समिति, सहायक संगठन, लाईन विभागों तथा सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ प्रणाली स्थापित करने में जो ठोस तथा प्लास्टिक अपशिष्ट के सामुदायिक स्तर पर मॉनिटरिंग तथा प्रबंधन करने को समर्थ करें, के समन्वय से, सीधा निदेश देगी और कार्य करेगी;
- (छ) शहरी स्थानीय निकाय के परामर्श से वार्ड स्तरीय मॉनिटरिंग के लिए किसी समिति/उपसमिति को उत्तरदायित्व सौंपेगी।

14.7 सिटी स्क्वाड/टास्कफोर्स की जिम्मेवारी—सिटी स्क्वाड/टास्कफोर्स निम्नलिखित कार्यों का जिम्मा लेगा—

- (क) नगर क्षेत्रांतर्गत विभिन्न दूकानों भोजशालाओं, सब्जीवालों तथा वाणिज्यिक दूकानों में अचानक निरीक्षण का संचालन करना और इन व्यवसायियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक कैंरी बैगों को जब्त करना।
- (ख) प्रतिबंधित पॉलिथीन पैकेजिंग मैटेरियल तथा 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाला और जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में किए गए प्रावधानों के अनुसार लेबल अथवा मार्क नहीं किए गए हों, सहबद्ध उत्पादों को जब्त करना।
- (ग) इस उपविधि की अनुसूची-1 में यथाविहित व्यतिक्रमियों से जुर्माना वसूल करना।
- (घ) नगर प्लास्टिक कैंरी बैगों अंतर्राज्य संचलन तथा विक्रय को रोकना।
- (ङ) नगर प्लास्टिक कैंरी बैगों को किसी बाहर के क्षेत्र से किसी व्यक्ति/व्यवसायी/स्टाकिस्टक को बेचने से रोकना।

अनुसूची-1

क्र. सं.	अपराध	प्रशमन चार्ज		
		प्रथम बार	द्वितीय बार	प्रत्येक बार दुहराए जाने पर
1	मोटाई और आकार का विचार किए बिना प्लास्टिक कैंरी बैगों के उत्पादन, वितरण, व्यवसाय, भंडारण विक्रय	2000	3000	5000
2	प्लास्टिक कैंरी बैग का उपयोगकर्ता			
(i)	वणिज्यिक उपयोगकर्ता	1500	2500	3500
(ii)	धरेलू उपयोगकर्ता	100	200	500
3	मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या ऐसी ही वस्तु या प्लास्टिक शीट से बने कभर जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधनों के अनुसार विनिर्मित लेबल या मार्क नहीं किए गए हों, में वस्तुओं का उपयोग, विक्रय या उसे उपलब्ध करना	2000	3000	5000
4	प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाना	2000	3000	5000
5	सार्वजनिक स्थानों, पार्क, नाला, पुरातात्विक स्थलों तथा अन्य प्रतिबंधित स्थानों में प्लास्टिक अपशिष्ट को फैलाना	1000	1500	2000
6	शहरी स्थानीय निकाय को सूचना दिए बिना इस उपविधि के अनुसार व्यवस्था किए बिना कोई समारोह या सभा आयोजित या एक सौ से अधिक व्यक्तियों को जमा करने के जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति	1500	2000	2500

इस उपविधि के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति (निर्माता, उत्पादक, आयातक, खुदरा विक्रेता, सड़क विक्रेता, स्टॉकिस्ट इत्यादि) के साथ पाए गए प्रतिबंधित सामान इस उप-कानून के प्रावधान में उल्लिखित अनुसार जब्त कर लिया जायगा।

फॉर्म-IV

(प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 का)

(नियम 17 (1) के अधीन)

स्थानीय निकाय के नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसिंग या रिसाईकिलिंग
सुविधा के ऑपरेटर द्वारा समर्पित किए जाने वाले वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र।

क्र. सं.	रिपोर्ट की कालावधि	
1	सुविधा ऑपरेटर का नाम और पता	
2	सुविधा के प्रभारी अधिकारी का नाम	
	टेलिफोन	
	फैक्स	
	मोबाईल	
	ईमेल	
3	हैसियत	
4	प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए उपयोग की जानेवाली प्रौद्योगिकी	
5	वर्ष के दौरान स्रोत के साथ-साथ रिपोर्ट की जाने वाली प्राप्त प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा	
6	प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)	
7	भूमि को भरने वाले स्थल पर अंतिम निपटारे के लिए भेजी गई निष्क्रीय या अस्वीकृत की मात्रा	
8	फार्म भरने की सुविधा का ब्योरा जिले अंतिम निपटारे के लिए निष्क्रीय या अस्वीकृत भेजे गए थे पता टेलिफोन	
9	पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन की स्थिति यदि सहमति या रजिस्ट्रेशन मंजूरी के दौरान विनिर्दिष्ट किया गया हो, संलग्न किया जाय	
	दिनांक स्थान	ऑपरेटर का हस्ताक्षर

फॉर्म-V

(प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 का)

(नियम 17 (2) के अधीन)

नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी सचिव को शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर किए जाने वाले वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र।

क्र. सं.	रिपोर्ट करने की कालावधि	
1	नगर, शहर और राज्य का नाम	
2	जनसंख्या	
3	वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र	
4	शहरी स्थानीय निकाय नाम और पता	
	टेलिफोन संख्या—	
	फैक्स संख्या—	
	ई-मेल—	
5	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में वार्डों की कुल संख्या—	
6	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में मकानों की कुल संख्या—	
7	दरवाजे-दरवाजे संग्रहण द्वारा आच्छादित मकानों की संख्या	
8	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में वाणिज्यिक स्थापनाओं और संस्थाओं की कुल संख्या	
9	वाणिज्यिक स्थापनाएँ	
	संस्थाएँ	
10	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए रखे गये यंत्र के साथ-साथ डोर-टू-डोर संग्रहण के लगी एजेंसियों के ब्यौरे का संक्षिप्त विवरण	
11	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थान पर लगाए गये आधारभूत संरचना का ब्यौरा संलग्न करें	
12	अपेक्षित आधारभूत संरचना का ब्यौरा औचित्य के साथ-साथ यदि कोई हो, संलग्न करें	
13	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र से वर्ष के दौरान उत्पादित अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)	
14	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र से वर्ष के दौरान संग्रह किये गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)	
15	वर्ष के दौरान रिसाईक्लिंग के लिए चैनल कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)	
16	वर्ष के दौरान उपयोग के लिए चैनल कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)	
17	वर्ष के दौरान भूमि भराई स्थल को भेजे गये निष्क्रिय या अस्वीकृत मात्रा (टनों में)	
18	प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रोसेसिंग और निपटारे के लिए उपयोग की गई प्रत्येक सुविधा का ब्यौरा	
	सुविधा-I	
	ऑपरेटर का नाम	
	पता—	
	टेलिफोन या मोबाईल संख्या—	
	क्षमता—	
	उपयोग की गई प्रौद्योगिकी—	

	रजिस्ट्रेशन संख्या—	
	रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तक—	
	सुविधा-II	
	ऑपरेटर का नाम—	
	पता—	
	टेलिफोन या मोबाईल संख्या—	
	क्षमता—	
	उपयोग की गई क्षमता—	
	रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तक—	
19	गली में झाड़ू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारा सहित शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के द्वारा फेलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें	
20	गली में झाड़ू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारे सहित संग्रहण के लिए ठीकेदार रियायत ग्राही व्यक्ति द्वारा फेलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें	
21	वित्तीय दबाव, यदि कोई हो सहित, इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को संक्षेप में वर्णन करें	
22	क्या नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपायों को विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हाँ (प्रतिलिपि संलग्न करें) पुनरीक्षण की तिथि—	

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय दयाल,
विशेष सचिव।

7 दिसम्बर 2018

सं.० 03/SBM-01-46/2018/ 2911 न.वि.एवं.आ.वि., बिहार अधिसूचना संख्या 2911 दिनांक 7 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय दयाल,
विशेष सचिव।

The 7th December 2018

Nagar Parishad Bihat

Plastic Waste Management Byelaws, 2018

No-03/SBM-01-41/2018-2911A—Urban Local Bodies have been mandated by Rule-6(4) of the Plastic Waste Management Rules, 2016 made under the Environment (Protection) Act, 1986 notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India to make Byelaws incorporating the provisions of the said Rule. In this respect, notification No.-25/2018 dated-15.10.2018 has been notified by the Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Bihar.

For implementation and standardization of the Plastic Waste Management Rules, 2016 and the notification of the Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Bihar, the Model Bihar Municipal Plastic

Waste Management Byelaws, 2018 was published vide notification No.-2540, dated 12.10.2018.

The said Model Byelaws have been passed by Proposal No.-Misc (1), dated 05.11.2018 of the Standing Committee of Nagar Parishad Bihat complying with the provisions of subsections-(a), (b) and (c) of Section-422 of the Bihar Municipal Act, 2007.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section-423 of the Bihar Municipal Act, 2007, the Byelaws passed by proposal No.-Misc (1), dated 05.11.2018 of the Nagar Parishad Bihat is hereby approved.

It shall be effective from the date of its publication in the official gazette.

CHAPTER – I PRELIMINARY

1. Short Title and Commencement:—

- (i) These byelaws shall be called the Nagar Parishad Bihat Plastic Waste Management Byelaws, 2018.
- (ii) It shall come into force after 60 days from the date of publication of Gazette Notification on Plastic Carry bag by Department of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of Bihar.

2. Application:—

- (i) These byelaws shall apply to every waste generator, manufacturer, producer, importer, brand owner and users available within the jurisdiction of Nagar Parishad Bihat.
- (ii) The bye laws shall not apply to the export oriented units or units in special economic zones, notified by the Central Government, manufacturing their products against an order for export: Provided this exemption shall not apply to units engaged in packaging of gutkha, tobacco and pan masala and also to any surplus or rejects, left over products and the like.

3. Definitions :—

In these bye laws, unless the context otherwise requires. -

- (a) "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);
- (b) "brand owner" means a person or company who sells any commodity under a registered brand label;
- (c) "carry bags" mean bags made from plastic material or compostable plastic material, used for the purpose of carrying or dispensing commodities which have a self-carrying feature but do not include bags that constitute or form an integral part of the packaging in which goods are sealed prior to use;
- (d) "commodity" means tangible items that may be bought or sold and includes all marketable goods or wares;
- (e) "compostable plastics" means plastic that undergoes degradation by biological processes during composting to yield CO₂, water, inorganic compounds and biomass at a rate consistent with other known compostable materials, excluding conventional petro-based plastics, and does not leave visible, distinguishable or toxic residue;
- (f) "food-stuff" means ready to eat food products, fast food, processed or cooked food in liquid, powder, solid or semi-solid form;

- (g) "facility" means the premises used for collection, storage, recycling, processing and disposal of plastic waste;
- (h) "importer" means a person who imports or intends to import and holds an Importer -Exporter Code number, unless otherwise specifically exempted;
- (i) "institutional waste generator" means and includes occupier of the institutional buildings such as buildings occupied by Central Government Departments, State Government Departments, public or private sector companies, hospitals, schools, colleges, universities or other places of education, organisations, academy, hotels, restaurants, malls and shopping complexes;
- (j) "manufacturer" means and includes a person or unit or agency engaged in the production of plastic raw material to be used as raw material by the producer;
- (k) "multilayered packaging" means any material used or to be used for packaging and having at least one layer of plastic as the main ingredients in combination with one or more layers of materials such as paper, paper board, polymeric materials, metalised layers or aluminium foil, either in the form of a laminate or co-extruded structure;
- (l) "plastic" means material which contains as an essential ingredient a high polymer such as polyethylene terephthalate, high density polyethylene, Vinyl, low density polyethylene, polypropylene, polystyrene resins, multi-materials like acrylonitrile butadiene styrene, polyphenylene oxide, polycarbonate, Polybutylene terephthalate;
- (m) "plastic sheet" means sheet made of plastic;
- (n) "plastic waste" means any plastic discarded after use or after its intended use is over;
- (o) "producer" means persons engaged in the manufacture or import of carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like, and includes industries or individuals using plastic sheets or like or covers made of plastic sheets or multilayered packaging for packaging or wrapping the commodity;
- (p) "recycling" means the process of transforming segregated plastic waste into a new product or raw material for producing new products;
- (q) "registration" means registration with the Bihar State Pollution Control Board or the ULB, as the case may be;
- (r) "street vendor" means a person engaged in vending of articles, goods, wares, food items or merchandise of everyday use or offering services to the general public, in a street, lane, side walk, footpath, pavement, public park or any other public place or private area, from a temporary built up structure or by moving from place to place and includes a hawker, peddler, squatter and all other synonymous terms which may be local or region specific; and the words "street vending" with their grammatical variations and cognate expressions, shall be construed accordingly;
- (s) "Thermoset plastic" when cured by heat or other means, changes into a substantially infusible or insoluble product. The thermoset

polymer is a kind of plastic which, due to its composite chemical structure cannot be re-moulded / recycled.

- (t) "ULB" means and will refer to municipality as specified under section 2 (66) of Bihar Municipal Act, 2007, wherever it has been used;
- (u) "virgin plastic" means plastic material which has not been subjected to use earlier and has also not been blended with scrap or waste;
- (v) "waste generator" means and includes every person or group of persons or institution, residential and commercial establishments including Indian Railways, Airport, Port and Harbour which generate plastic waste;
- (w) "waste management" means the collection, storage, transportation reduction, re-use, recovery, recycling, composting or disposal of plastic waste in an environmentally safe manner,
- (x) "waste pickers" mean individuals or agencies, groups of individuals voluntarily engaged or authorised for picking of recyclable plastic waste.

CHAPTER-II

MANAGEMENT OF PLASTIC WASTE

4. Plastic Waste Management:— The Nagar Parishad Bihat shall manage plastic waste in its respective jurisdiction as follows:—

- (a) The plastic waste other than plastic carry bags, which can be recycled, shall be channelized to registered plastic waste recyclers and recycling of plastic shall conform to the Indian Standard: IS 14534:1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastics, as amended from time to time;
- (b) ULB shall encourage the use of plastic waste (preferably the plastic waste which cannot be further recycled) for road construction as per Indian Road Congress guidelines or energy recovery or waste to oil, etc. The standards and pollution control norms specified by the Central Pollution Control Board (CPCB) and/or Bihar State Pollution Control Board (BSPCB) for these technologies shall be complied with;
- (c) Thermoset plastic waste shall be processed and disposed off as per the guidelines issued from time to time by the Central Pollution Control Board and/or Bihar State Pollution Control Board;
- (d) The inert from recycling or processing facilities of plastic waste shall be disposed of in compliance with the Solid Waste Management Rules, 2016 or as amended from time to time;

5. Conditions to be fulfilled:— the Government of Bihar is of the considered view that the use of plastic carry bags is causing grave injury and irreparable damage to the environment due to blockage of gutters, sewers and drains, adversely impacting ground water recharge and emissions from advertent and inadvertent burning resulting in serious environmental problems thereby affecting the health of human beings and its consumption by bovines while grazing is causing serious damage to health and longevity of cattle. Under these circumstances, it has become necessary to impose blanket ban on the manufacture, import, storage, transport, sale and usage of plastic carry bags in the whole jurisdiction of urban local body.

- (i) No person shall manufacture, import, store, distribute, sell, transport or use any kinds of plastic carry bags (irrespective of their sizes and thickness) in the jurisdiction of urban local body.
- (ii) No person including a shopkeeper, vendor, wholesaler, retailer, trader, hawker, feriwala or sabjiwala shall sell or store or distribute or use any kind of plastic carry bags for storing or dispensing of any eatable or non-eatable goods or materials.
- (iii) The manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of plastic carry bags for storage of Bio-medical waste, polybags used for seedlings, plastic sheets or like, or cover made of plastic sheet and multilayered packaging, shall be subject to the following conditions, namely:-
 - (a) The plastic carry bags used for storage of bio-medical waste shall be exempted from the provisions of this bye-law. However the plastic carry bags shall not be less than fifty microns in thickness and should also comply to the provisions made in the rule 4 (clause d & i) and schedule IV of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016. The plastic carry bags containing bio-medical waste should be disposed of in compliance to the provisions made in Bio-Medical Waste Management Rules, 2016.
 - (b) Products made of recycled plastic shall not be used for storing, carrying, dispensing or packaging ready to eat or drink food stuff.
 - (c) Carry bag made of virgin or recycled plastic, shall be banned in the jurisdiction of Nagar Parishad Bihat irrespective of its thickness.
 - (d) The State Environment & Forest Department should ensure that polybags used for propagation of seedlings shall not be less than fifty microns in thickness and shall also ensure collection of all used polybags in one place and ensure safe disposal of these polybags.
 - (e) The private nurseries should ensure polybags of more than fifty microns in thickness shall be used for propagation of seedlings. The private nurseries shall also ensure reuse of these polybags to the maximum extent possible.
 - (f) The private and government nurseries shall ensure collection of all used polybags in one place and hand it over to the urban local body (ULB) by giving such user fees as prescribed in the Municipality Solid Waste Management Byelaws, 2018.
 - (g) Plastic sheet or like, which is not an integral part of multilayered packaging and cover made of plastic sheet used for packaging, wrapping the commodity shall not be less than fifty microns in thickness except where the thickness of such plastic sheets impairs the functionality of the product;
 - (h) The manufacturer shall not sell or provide or arrange plastic to be used as raw material to a producer, not having valid registration from the Bihar State Pollution Control Board;
 - (i) Sachets using plastic material shall not be used for storing, packing or selling gutkha, tobacco and pan masala.

- (j) Plastic material, in any form including Vinyl Acetate - Maleic Acid - Vinyl Chloride Copolymer, shall not be used in any package for packaging gutkha, pan masala and tobacco in all forms.

CHAPTER-III

MARKING OR LABELING OF PLASTIC SHEET/MULTILAYERED PACKAGING

6. (i) Retailers or street vendors shall not sell or provide commodities to consumer in plastic sheet or multilayered packaging, which are not manufactured and labeled or marked, as prescribed under this bye-law.
- (ii) Every retailer or street vendor selling or providing commodities in multilayered packaging or plastic sheets or like or covers made of plastic sheets which are not manufactured or labeled or marked in accordance with this bye-law shall be liable to pay such fines as specified in Schedule-I under the bye-law of the local body.
- (iii) The multilayered packaging shall have the Name and registration number of the manufacturer printed in English in case of multilayered packaging.

CHAPTER-IV

REGISTRATION OF PRODUCER, RECYCLERS AND MANUFACTURER

7. (i) As per the provisions made in Rule 5 (i) no person shall manufacture plastic carry bags or recycle plastic carry bags. However manufacturing of multilayered packaging materials can be done only after obtaining a valid registration from the Bihar State Pollution Control Board, prior to the commencement of production.
- (ii) All producer, recycler and manufacturer of plastic materials, multilayered packaging shall obtain registration and renewal with Bihar State Pollution Control Board, as per the provisions made in the Plastic Waste Management Rule 2016.

CHAPTER-V

COLLECTION, SEGREGATION, PROCESSING OF PLASTIC WASTE

8. (i) Collection, segregation, processing of plastic waste shall be done as follows:—

- (a) Urban local body will take steps to minimize generation of plastic waste and to segregate plastic waste at source.
- (b) ULB shall take steps to minimize litter of plastic waste and ensure segregated storage of waste at secondary storage depots/community bins. The plastic waste shall be collected in the non-biodegradable or dry waste bins only.
- (c) At the secondary storage points / depots / transfer stations, ULB shall encourage waste pickers and other social entrepreneurs to remove constituents such as plastic, glass and paper for recycle and reuse. The informal waste pickers shall also directly allowed to collect the dry recyclables and sell it to the authorized recyclers for earning of their livelihood.
- (d) ULB shall ensure source segregation of wet and dry waste and inert materials through establishment of Material Recovery Facility with arrangements of separate bins or storage chambers for sorting and storing of dry waste such as Paper, plastic, iron,

glass, e-waste, polythene, rugs, leather, shoes, pet bottles, rubber etc.

- (e) The ULB can also explore other Plastic Waste Management technology such as: plasma pyrolysis technology, installation of bailing press & making of Refuse Derived Fuel (RDF), co-processing of plastics waste in cement kiln and plastic shredding as per requirement and local condition.
- (f) The ULB shall actively work towards the transformation of rag pickers by utilizing them in MRF and Plastic Waste Management Facility.
- (g) The ULB shall continuously organize sensitization sessions, program on health issues, livelihood and income generating activities for informal waste pickers/kabadiwallas and SHGs.
- (h) Vocational trainings like paper bag making, carton bag, tailoring, cushion making etc. should also be imparted.

CHAPTER-VI

MONITORING MECHANISM

9. Monitoring of Plastic Waste Management—

- (a) **District Level Review and Monitoring Committee:—** The committee constituted as per Bihar Municipality Solid Waste Management Byelaws, 2018 under the Chairmanship of District Magistrates will review and advise the local body on successful implementation of the provisions of these byelaws.
- (b) **Constitution of city squad/task force:—**The district administration shall ensure constitution of city squad/task force consisting of administrative as well as ULB officials and members from the community to enforce implementation in the jurisdiction of local body. The city squad shall consist of following members:
 - (i) Officials of District Administration
 - (ii) Officials of the ULB (Municipal Commissioner/Executive Officer/City Manager/Asst. Engineer).
 - (iii) Officials of Police Department (Inspector/Sub-inspector).
 - (iv) Officials of State Pollution Control Board (Regional Officers/AEEs/Scientist)
 - (v) Members from Local NGOs
 - (vi) Members from SHGs

The role of this city squad is to confiscate the polythene carry bags irrespective of its thickness and to impose fines for violation of these byelaws as per schedule-I. The unauthorised units will be asked to shut-down.

CHAPTER-VII

USERS FEE AND FINE

10. Application of User fee for plastic waste collection, operation and management—

- (a) Fifteen percent (15%) of the user fee collected as per SWM byelaws by urban local body shall be transferred to plastic waste management account for the purpose of the management of plastic waste.

11. Fines on violation—

- (a) On and after the date of commencement of these bye-law, there will be a familiarization/warning period till 13th December, 2018 as

per notification on Plastic carry bag by Department of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of Bihar, after which, any contravention of this bye-law shall be punishable with fines as prescribed in Schedule-I for every instance of breach of this bye-law.

- (b) If any shopkeeper or street vendor is found providing plastic carry bags for dispensing any commodity in the jurisdiction of urban local body, the ULB shall impose a fine as specified in schedule-I for every such occurrences;
- (c) If any shopkeeper or street vendors sells or provides commodities in plastic carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like or covers made of plastic sheets which are not manufactured or labeled or marked in accordance with these byelaws shall be liable to pay such fines as specified in schedule-I for every such occurrence;
- (d) Nagar Parishad Bihat shall collect fine on the spot through the authorized official or city squad as formed under Rule 9 (b) above.

12. Action in case of defaulter—

Any manufacturer, producer, importer, stockiest, wholesaler, retailer, shopkeeper, street vendor who does not pay the fine shall be liable for recovery to the urban local body as arrear of property tax. Action will be taken against repeated offenders in terms of the provisions of section 426 of Bihar Municipal Act, 2007.

CHAPTER-VIII

APPLICATION AND ANNUAL RETURNS

13. Application and Annual Returns (PWM Rules, 2016)

- (a) Every producer shall, for the purpose of registration or for renewal of registration, make an application to the Bihar State Pollution Control Board in Form I as per the provision of Plastic Waste Management Rules, 2016.
- (b) Every person recycling or processing waste or proposing to recycle or process plastic waste shall make an application to the Bihar State Pollution Control Board for grant of registration or renewal of registration for the recycling unit, in Form-II as per the provision of Plastic Waste Management Rules, 2016.
- (c) Every manufacturer engaged in manufacture of plastic in the jurisdiction of urban local body to be used as raw material by the producer shall make an application to the Bihar State Pollution Control Board for the grant of registration or for the renewal of registration, in Form III.
- (d) Every person engaged in recycling or processing of plastic waste shall prepare and submit an annual report in Form-IV to Urban Local Body under intimation to the Bihar State Pollution Control Board by the 30th April, of every year.
- (e) Nagar Parishad Bihat shall prepare and submit an annual report in Form-V to the Secretary in-charge of the Urban Development Department under intimation to the Bihar State Pollution Control Board by the 30th June, every year.

CHAPTER-IX

STAKEHOLDER'S RESPONSIBILITIES

14. Stakeholder's Responsibilities

14.1. Responsibility of the Nagar Parishad Bihat

- (a) ULB shall develop infrastructure for segregation, collection, storage, transportation, processing and disposal of the plastic waste either on its own or through any other government agency or by engaging agencies or producers;
- (b) ULB shall be responsible for co-ordination of the waste management system and for performing the associated functions, namely;
 - i. Ensure segregation, collection, storage, transportation, processing and disposal of plastic waste;
 - ii. Ensure that no damage is caused to the environment during this process;
 - iii. Ensure channelization of recyclable plastic waste fraction to recyclers;
 - iv. Ensure processing and disposal of non-recyclable fraction of plastic waste in accordance with the guidelines issued by the Central Pollution Control Board;
 - v. Create awareness among all stakeholders about their responsibilities;
 - vi. Engage civil societies or groups working with waste pickers,
 - vii. Ensure that open burning of plastic waste does not take place.
- (a) ULB shall establish plastic waste collection center on its own or by engaging any agency, where any waste generator or waste pickers can directly deposit plastic wastes. This will also be the place for dissemination of information on waste reduction, source segregation of waste, prohibition on open burning of plastic waste, etc. for sensitization.
- (b) The ULB shall encourage the minimisation of plastic use within its jurisdictional limits by generating awareness on the problems presented by excessive use of plastic, the short term and long term effects of plastic waste on the environment, alternate non-plastic substitutes of plastics etc., on a continuous basis and shall provide budget for the same.
- (c) The fund collected by the ULB as fine shall be kept in a separate account and shall be utilized for infrastructure, logistics and for the overall sustainability of the waste management system within their jurisdictions.
- (d) The urban local body, for setting up of system for plastic waste management, shall seek assistance of manufacturer, producers, and brand owners.

14.2 Responsibility of waste generator

- (a) The Waste Generator shall
 - i. take steps to minimize generation of plastic waste and segregate plastic waste at source in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 or as amended from

- time to time and store it in the bin meant for non-biodegradable waste;
- ii. not litter the plastic waste and ensure segregated storage of waste at source and handover segregated waste to the waste collector or agencies authorized by the urban local body for waste collection or handover to registered waste pickers', registered recyclers.
- (b) All institutional generators of plastic waste shall segregate and store the waste generated by them in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 or as amended from time to time.
- (c) All waste generators shall pay such user fee or charge as may be specified in the Bihar Municipality Solid Waste Management Byelaws, 2018 for plastic waste management such as waste collection or operation of the facility there of, etc.,
- (d) Every person responsible for organising an event or gathering of more than one hundred persons in open space, which involves service of food stuff in plastic or multilayered packaging shall segregate and manage the waste generated during such events. The person should inform the ULB at least 3 working days prior to the date of event/function and request the ULB to place two numbers of 1.1 cum container for storage of such segregated waste by paying daily rental charges as fixed by Nagar Parishad Bihat.

14.3 Responsibility of producers, importers and brand owners

- (a) The producers, within a period of six months from the date of publication of this bye-law, shall work out modalities for waste collection system based on **Extended Producers Responsibility** and involving State Urban Development Departments, either individually or collectively, through their own distribution channel or through the local body concerned.
- (b) The producer shall register with the Bihar State Pollution Control Board.
- (c) All the producers, brand owners or importers who sell or market their products using multi-layered plastic sachet or pouches or packaging, etc. are primarily responsible to establish the system of collecting back the plastic waste generated due to their products.
- (d) Primary responsibility for collection of used multi-layered plastic sachet or pouches or packaging is of Producers, Importers and Brand Owners who introduce the products in the market. They need to establish a system for collecting back the plastic waste generated due to their products. This plan of collection is to be submitted to the State Pollution Control Boards while applying for Consent to Establish or Operate or Renewal.
- (e) Every producer shall maintain a record of details of the person engaged in supply of plastic used as raw material to manufacture plastic sheets or like or cover made of plastic sheet or multilayered packaging.

- (f) The manufacturer/brand owner/producer of recyclable multi-layered and paper-based carton packaging material using plastic, shall diligently implement their Extended Producer's Responsibility (EPR) Plan which includes co-ordination/collaboration with existing Waste Pickers/Scrap Traders, retailers for collection of plastic waste and its subsequent recycling and final disposal through their own established recycling plants or registered recyclers by establishing Producer's Responsible Organisations (PRO), which shall be responsible for 100% integral Plastic Waste Management right from collection to final disposal.
- (g) It shall be the sole responsibility of the PET Bottle producer/industries to ensure that these bottles are collected from retailers at refund rate or buy back rate as decided by the producers and also ensure that these are recycled. It is the responsibility of the producers to print clearly the refund/buy-back price on the PET bottles.
- (h) It shall be mandatory on the part of the bulk consumers of PET bottles such as hotels, marriage/ party halls, outdoor event locations, offices/institutions provide space for collection of plastic waste.
- (i) Manufacturing associations for retail packaging material and retailer's associations shall collectively work to create a mechanism for the collection of plastic packaging material used for packaging of groceries and grains through a buy-back mechanism and ensure the recycling and final disposal of the collected plastic materials.

14.4 Responsibility of retailers, street vendors, eateries /sabjiwalla etc.

- (a) No person including a shopkeeper, vendor, wholesaler, retailer, trader, eatery, hawker, feriwala or sabjiwalla shall sell or store or distribute or use any kind of plastic carry bags for storing or dispensing of any eatable or non-eatable goods or materials.
- (b) The shopkeeper, vendor, wholesaler, retailer or trader of plastic carry bags shall phase out the use, sell or stock within a period of 60 days (i.e., by 13.12.2018) of notification on plastic carry bag by Department of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of Bihar and beyond such time period the sale, store or use of any such plastic carry bag shall be subject to fine as specified in Schedule-I of these byelaws.
- (c) Every retailer or street vendor selling or providing commodities in multilayered packaging or plastic sheets or like or covers made of plastic sheets which are not manufactured or labelled or marked in accordance with these rules shall be liable to pay such fines as specified under Schedule-I of these byelaws.

14.5 Responsibilities of State Pollution Control Board (SPCB), Bihar

- (a) The State Pollution Control Board shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to registration, manufacture of plastic products and multilayered packaging, processing and disposal of plastic wastes;

- (b) State Pollution Control Board, Bihar shall prepare and submit an annual report on implementation of PWM Rule 2016 to the Central Pollution Control Board (CPCB) by 31st July, of every year.

14.6 Responsibilities of District Level Review & Monitoring Committee

District Level Review and Monitoring Committee shall undertake the following actions:—

- (a) Review and monitor the works related to solid and plastic waste management activity.
- (b) Review the action plan of Urban Local Bodies of the district on solid and plastic waste management and ensure implementation of all the provisions of Solid and Plastic Waste Management Rules, 2016.
- (c) Direct the Urban Local Bodies to prepare the baseline database and situation analysis of Solid and Plastic Waste.
- (d) Monitor the progress of the campaign of solid waste/plastic waste management and make periodic corrections as needed and participate in regular review and co-ordination with the Urban Development and Housing Department and other state coordination agencies.
- (e) Review the performance of Urban Local Body at least once in a quarter on solid and plastic waste management and identify and allocate suitable land to the Urban Local Body for setting up solid waste processing disposal facility.
- (f) Direct and work in coordination with support organisations, line departments and civil society organisations in setting up systems that enable community level monitoring and management of solid and plastic waste.
- (g) Entrust responsibility to any committee/sub-committee for ward-level monitoring in consultation with the Urban Local Body.

14.7 Responsibilities of City Squad/task force

The City Squad/task force shall undertake the following actions:—

- (a) Conduct surprise inspections in various shops, eateries, sabjiwalla & commercial shops across the city and seize banned plastic carry bags being used by these traders.
- (b) Confiscate the banned polythene packaging material and allied products having thickness less than 50 microns and not labelled or marked as per provisions made in Plastic Waste Management Rules, 2016.
- (c) Collect such fines from the defaulter as prescribed in Schedule-I of this bye-law.
- (d) Stop inter-state movement and sale of plastic carry bags in the city.
- (e) Prevent any person/trader/stockist from any outside areas from selling plastic carry bags in the city.

Schedule-I

Sl. No	Offence	Compounding Charges		
		1 st Instance	2 nd Instance	At every repeated Instance
1	Production, distribution, trading, storage, sale of plastic carry bags irrespective of its thickness and sizes.	2000	3000	5000
2	User of Plastic Carry Bags			
(i)	Commercial Users	1500	2500	3500
(ii)	Domestic Users	100	200	500
3	Using, selling or providing commodities in multilayered packaging or plastic sheets or like or covers made of plastic sheets which are not manufactured or labeled or marked in accordance with the provisions of Plastic Waste Management Rules, 2016	2000	3000	5000
4	Open burning of Plastic waste	2000	3000	5000
5	Littering of Plastic Waste in public places, parks, drains, archeological sites and other restricted places.	1000	1500	2000
6	Every person responsible for organising an event or gathering of more than one hundred persons without informing the Urban Local Body and making arrangements as per these byelaws.	1500	2000	2500

*Banned goods found with any anybody (manufacturer, producer, importer, retailer, street vendor, stockist etc.) as mentioned in the provision of this bye-law shall be seized and confiscated on the spot.

Form-IV
(Of Plastic Waste Management Rules, 2016)
(Under Rules 17 (1))
FORMAT OF ANNUAL REPORT BY OPERATOR OF PLASTIC WASTE
PROCESSING or RECYCLING FACILITY TO BE SUBMITTED TO
THE URBAN LOCAL BODY

Period of Reporting		
1	Name and address of the operator of the facility	
2	Name of the officer in charge of the facility	
	Telephone:	
	Fax:	
	Mobile:	
	E-mail:	
3	Capacity:	
4	Technologies used for management of plastic waste:	
5	Quantity of plastic waste received during the year being reported upon along with the source	
6	Quantity of plastic waste processed (in tons):	
	-Plastic waste recycled (in tons)	
	-Plastic waste processed (in tons)	
	-Used (in tons)	
7	Quantity of inert or rejects sent for final disposal to landfill sites:	
8	Details of land fill facility to which inert or rejects were sent for final disposal:	
	- Address	
	-Telephone	
9	Attach status of compliance to environmental conditions, if any specified during grant of consent or registration	
Dated : Place:		Signature of Operator

Form-V
(Of Plastic Waste Management Rules, 2016)
(Under Rules 17 (2))

**FORMAT FOR ANNUAL REPORT ON PLASTIC WASTE MANAGEMENT TO
BE SUBMITTED BY THE URBAN LOCAL BODY TO SECRETARY- IN-
CHARGE OF THE URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING DEPARTMENT**

Period of Reporting:		
1	Name of the City or Town and State	
2	Population	
3	Area in sq. kilometers	
4	Name & Address of Urban Local Body	
	Telephone No.	
	Fax No.	
	E-mail:	
5	Total Numbers of the wards in the area under jurisdiction	
6	Total Numbers of Households in the area under jurisdiction	
7	Number of households covered by door to door collection	
8	Total number of commercial establishments and Institutions in the area under jurisdiction	
	-Commercial establishments	
	- Institutions	
9	Number of commercial establishments and Institutions covered by door to door collection	
	-Commercial establishments	
	- Institutions	
10	Summary of the mechanisms put in place for management of plastic waste in the area under jurisdiction along with the details of agencies involved in door to door collection	
11	Attach details of infrastructure put in place for management of plastic waste generated in the area under jurisdiction	
12	Attach details of infrastructure required, if any along with justification	
13	Quantity of Plastic Waste generated during the year from area under jurisdiction (in tons)	
14	Quantity of Plastic Waste collected during the year from area under jurisdiction (in tons)	
15	Quantity of plastic waste channelized for recycling during the year (in tons)	
16	Quantity of plastic waste channelized for use during the year (in tons)	
17	Quantity of inert or rejects sent to landfill sites during the year (in tons)	
18	Details of each of facilities used for processing and disposal of plastic waste	

Facility-I	
Name of operator	
Address	
Telephone Number or Mobile	
Capacity	
Technology Used	
Registration Number	
Validity of Registration (up to)	
Facility-II	
Name of operator	
Address	
Telephone Number or Mobile	
Capacity	
Technology Used	
Registration Number	
Validity of Registration (up to)	
19	Give details of: Urban Local Body's own manpower deployed for collection including street sweeping, secondary storage, transportation, processing and disposal of waste
20	Give details of: Contractor or concessionaire's manpower deployed for collection including street sweeping, secondary storage, transportation, processing and disposal of waste
21	Mention briefly, the difficulties being experienced by the urban local body in complying with provisions of these rules including the financial constraints, if any
22	Whether an Action Plan has been prepared for improving solid waste management practices in the city? If yes (attach copy) Date of revision:
Date: Place:	Signature of Municipal Commissioner /Executive Officer

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY DAYAL,
Special Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1059-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>